संख्या-36/2017/1463/41-2017- 17 (बजट)/17

प्रेषक,

बच्चू लाल,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 11 अगस्त 2017**

विषय- भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत (रामायण सर्किट थीम) में श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद के पर्यटन विकास/निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

क़पया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2111/6-1-1(521-स्व0दर्शन0/)/2017, दिनांक 01-08-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत रामायण सर्किट में श्रृंगवेरपुर (जनपद इलाहाबाद) के पर्यटन विकास हेतु भारत सरकार के पत्र सं0-5 (15)/2016 एसडी दिनांक 29 सितम्बर, 2016 द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/स्वीकृति के अनुक्रम में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा तैयार किये गये आगणन के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या 44 के स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट में प्रावधानित आय-व्ययक से निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित योजना/निर्माण कार्य के लिए कॉलम-3 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति तथा कॉलम 4 में प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 20 प्रतिशत अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद इलाहाबाद के श्रृंगवेरपुर का पयर्टन विकास।	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति**
1	**2**	**3**	**4**
1	संध्या घाट का पयर्टन विकास ।	1477.04	295.408
2	सोलर लाइटिंग, साइनेजेज, राम शयन स्थल तथा बीर आसन सीतापुर कुण्ड का पर्यटन विकास का कार्य।	554.03	110.806

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	टूरिस्ट फेसिलिटी सेन्टर सम्बन्धी कार्या	554.38	110.876
4	लास्ट माइल कनेक्टीविटी सम्बन्धी कार्य	363.49	72.698
	योग	**2948.94**	**589.788**

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-डेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पर्यटन मंत्रालय (स्वदेश दर्शन डिवीजन), भारत सरकार के स्वीकृत पत्र सं0 5.(15)/2016-एसडी दिनांक 29-09-2016 में उल्लिखित कार्यमद/लागत एवं निर्धारित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा साथ ही इस सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा निर्गत अन्य आदेशों/निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) उक्त प्रायोजनाओं का कार्य सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी, जिसका अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा नियमित रूप से कराया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017 बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0 07/2017 बी0-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21.06.2017 का पूर्णतया अनुपालन कराते हुए योजना/निर्माण कार्य का नियमित अनुश्रवण कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत निर्माण कार्य के आगणन में दर्शित सेन्टेज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर ही भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत योजना की वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे आवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत की जा रही धनराशि अप्रयुक्त/शेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रश्नगत योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(11) योजना का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(3) उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट (के. 100/रा.0 के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-547/दस-2017 दिनांक 11 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बच्चू लाल)
अनु सचिव।

संख्या-36/2017/1463/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
7- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ ।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलाहाबाद।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।